राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1–4.अपील संख्या –2188, 2189, 2190 व 2191/2013/सवाईमाधोपुर

मै0 केदारनाथ घासीलाल,
नई मण्डी, हिण्डोनसिटी .....अपीलार्थी

बनाम

1.अपीलीय प्राधिकारी,वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर
2.सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर,करापवंचन, संभाग–द्वितीय,
जयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मनोहरपुरी–सदस्य
श्री ईश्वरी लाल वर्मा,सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा,
अधिकृत अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/11/2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के पृथक–पृथक अपील संख्या क्रमशः 57,56,58 व 59/उपा–भरत/2012–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.03.201 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वैट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. सभी अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय के प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही हैं।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी अनाज,तिलहन,दलहन के क्रेता/विक्रेता है। वाणिज्यिक कर विभाग की टीम द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी फर्म के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 05.11.2001 को किया गया। टीम द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाकर सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, करापवंचन, संभाग–द्वितीय जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) को प्रेषित की गई। जॉच रिपोर्ट में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का करापवंचन सिद्ध होने मानते हुए क्रमशः कर निर्धारण वर्ष 99–2000, 2000–01, 2001–02 एवं 2001–02 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 30,58,65 एवं 29(7), 58,65 में अपने पृथक–पृथक क्रमशः आदेश दिनांक 11.11.2002, 25.03.2003, 29.03.2004 एवं 29.03.2004 के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध आलौच्य अवधियों में कर, ब्याज व शास्तियॉ आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रथम अपीलें, अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 23.07.2013 द्वारा अपीलीर्थी की अपीलें स्वीकार कर, उपरोक्त प्रकरणों को पुनः कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिये की, अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, पुनः

लगातार.....2

कर निर्धारण आदेश पारित करे। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें पेश की गई है।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधियों में अपने पृथक–पृथक आदेश पारित किये गये है उन आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी ने प्रथम अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने पृथक–पृथक आदेश दिनांक 23.07.2013 से अपीलार्थी व्यवहारी को पुनः सुनकर कर निर्धारण अधिकारी को कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरणों को पुनः प्रतिप्रेषित किये है। अतः अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर द्वारा आलौच्य अवधियों के पुनः पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.05.2015 को पारित कर दिये है। अतः विवादित अपीलें अब सारहीन हो गयी हैं। बहस के दौरान उन्होंने कर निर्धारण आदेश की प्रतियॉ भी पेश की है।

5. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के कथन से सहमति व्यक्त करते हुए, अपीलें निष्प्रभावी हो जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रतिप्रेषित आदेशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक आदेश दिनांक 23.07.2013 द्वारा पुनः जॉच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर, निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये थे। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेशों की पालना में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर द्वारा आलौच्य अवधियों के पुनः पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.05.2015 को पारित किये जा चुके हैं। अतः विवादित आदेश अब सारहीन हो गये है।

7. अतएवं अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 23.07.2013 की पालना में,सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर द्वारा आलौच्य अवधियों के पुनः पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.05.2015 को पारित किये जा चुके हैं। अतः आलौच्य अवधियों के पुनः पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.05.2015 पारित कर दिये जाने से अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने संबंधी अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2013 के विरूद्ध विचाराधीन अपीलें चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त, हनुमानगढ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग (2009) 25 टैक्स अपडेट 59** के निर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक पारित आदेश दिनांक 23.07.2013 के विरूद्ध यह अपीलें सारहीन(Infructous) होने के कारण अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं।

8. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत अपीलें सारहीन(Infructuous) होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय सुनाया गया।

18.11.2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

18.11.2015

(मनोहरपुरी)
सदस्य